

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 855/14

संस्थापन दिनांक:-17/11/14

फाईलिंग नं. 233504005262014

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

1. प्यारेलाल पिता गुलाब चौकीकर, उम्र 45 वर्ष
2. मोनू पिता अजाबराव देशमुख, उम्र 18 वर्ष  
दोनों निवासी ग्राम ऐनस,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 29.05.2018 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09.11.2014 को समय दोपहर लगभग 03:00 बजे प्रार्थी का खेत कुण्डई रास्ता ऐनस थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत फरियादी रवि देशमुख को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रवि देशमुख को स्वेच्छया उपहति कारित करने का आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी रवि देशमुख को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.11.2014 को दोपहर करीब 3 बजे फरियादी अपने खेत पर गया था। तभी वहां अभियुक्तगण आये और उससे कहा कि तुम्हारी मोटर बंद कर दो हमें पानी ओलने दो और दोनों ने उसे मादरचोद, बहनचोद की गंदी गंदी गालियां दी। फरियादी द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण ने उसे हाथ मुक्कों से मारपीट किये जिससे उसे गाल पर चोट आयी। अभियुक्तगण ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 937/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन

लेखबद्ध किये गये। फरियादी चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

**विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण**

5 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी अथवा अन्य को क्षोभ कारित करने एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं।

अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

### **विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण**

6 अरविंद (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि वह अभियुक्तगण को जानता है और फरियादी रवि देशमुख को भी जानता है। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है, उसे केवल इतना पता चला था कि दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ था। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि वह घटना के समय खेत पर काम कर रहा था तभी अभियुक्तगण ने फरियादी से कुएं पर मोटर की बात पर से हाथ थप्पड़ से मारपीट की थी।

7 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-3) ने दिनांक 10.11.2014 का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत रवि देशमुख का परीक्षण किये जाने पर आहत के दोनों गाल पर दर्द पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श प्री-5 को प्रमाणित किया है।

8 मंगलमूर्ति (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 11.11.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक लेकर के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 937/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श प्री-2 तथा दिनांक 13.11.2014 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-3 एवं प्रदर्श पी-4 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उन पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

9 प्रकरण में साक्षी रवि देशमुख को न्यायालय द्वारा अदम पता द घोषित किया गया है। स्वतंत्र साक्षी अरविंद ने घटना का समर्थन नहीं किया है। चिकित्सक साक्षी ने आहत रवि के शरीर पर कोई प्रत्यक्षदर्शी चोट न होना बताया है, मात्र आहत को सिर व गाल में दर्द की शिकायत परीक्षण में होना बताया है। चिकित्सक साक्षी के कथनों से आहत को मात्र दर्द की शिकायत पायी गयी है। सामान्यतः दो व्यक्ति किसी के साथ मारपीट करें और आहत के शरीर पर कोई भी प्रत्यक्षदर्शी चोट न हो यह अत्यन्त अस्वाभाविक परिस्थिति है। अभिलेख इस संबंध में साक्ष्य का नितांत अभाव है कि अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी रवि देशमुख की हाथ मुक्के से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गयी हो।

### विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

**10** उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रवि देशमुख को स्वेच्छया उपहति कारित करने का आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी रवि देशमुख को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण प्यारेलाल एवं मोनू को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

**11** अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**12** अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)